न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–281/2017 (2017/00281)225/मसूदा

1. बाबू लाल पुत्र तेजू
2. सूरजमल पुत्र तेजू
3. श्रीमती सजनी पत्नि तेजू
4. रामदेव पुत्र काना
5. रामचन्द्र पुत्र काना
6. मादू उर्फ महादेव प्रसाद पुत्र राजू
   समस्त जाति रेगर निवासी फतेहगढ़ (मुरायला) तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सूरजमल पुत्र लादू
2. रामचन्द्र पुत्र लादू
3. ऊँकार पुत्र लादू
   समस्त जाति रेगर निवासी फतेहगढ़ (मुरायला)तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमती शांति उर्फ सायरी पुत्री काना पत्नि कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
6. श्रीमती मन्ना पुत्र काना पत्नि गंगाराम जाति रेगर निवासी ग्राम खेड़ी तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी राजस्व अधिनियम 1955, विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 15.06.2017, प्रकरण संख्या 35/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री मदन लाल गुर्जर एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 05 अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की तलबी बंद।

निर्णय

दिनांकः–12.12.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 35/2015 में निर्णय दिनांक 15.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण/ वर्तमान अपीलांट एवं तर.रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहगढ़ तहसील मसूा स्थित खसरा नम्बर 722/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी हैं जिसका मूल खसरा नम्बर 722

जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 722/1 व खसरा नम्बर 722/2 राजस्व अभिलेख में दर्ज है किन्तु नक्शा ट्रेस में 722 की तरमीम है जो प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 722/2 में मार्ग के लिए खसरा नम्बर 818 एवं 730 चारागाह से होते हुए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नमबर 739 की मेड की छोर हुए चले आ रहे है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर की सींव एक ही हैं अर्थात सींवजोड़ हैं, अप्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग उपभोग आदि वर्तमान अपीलांट के खेत से लाता ले जाता हैं किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण वर्तमान अपीलांट इस रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 को आने जाने व साधन ट्रेक्टर आदि आने में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 30 फिट चोड़ा रास्ता खसरा नम्बर 739 की मेड़ से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के खेत पर जाने का डी.एल.सी. दर पर दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 738, 739 एव 726, 728 की मेड़ पर 15 फिट चौड़ा रास्ता दर्ज करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 03 की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद तलबी बंद की गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के मूल निष्कर्ष पर पहुॅच ही नही पाये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की आराजी खसरा 722 के लिए वर्तमान अपीलांट/विपक्षी की आराजी खसरा नम्बर 739 एवं अन्य खातेदारों की आराजी खसरा नम्बर 726, 728, 738 में से रास्ता दिया जाना उचित व न्याय संगत है या नहीं बाबत् कोई स्पष्ट हैं आदेश नही है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा अनुसार गिरदावर या तहसीलदार अधिकारी की मौके की वास्तविक रिपोर्ट के अभाव में एवं जॉच करने के प्रावधान नियम 69 की बिना पालना किये ही मात्र पटवारी की दोनो विरोधाभास अवैध रिपोर्ट को सही मानकर एक खातेदार को अपनी आराजी से वंचित कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई सकरात्मक व विधि सम्मत कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया है एवं बहुत ही संक्षिप्त आदेश के द्वारा रूटिन प्रक्रिया के तहत न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया हैं किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवके का प्रयोग किये बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तिसंगत कारण अंकित किये बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं हैं, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण को निस्तारित करते समय इस पर विस्तृत विवेचन करते हुए व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुए अपील का निस्तारण करते इस सम्बन्ध में मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2016 आर.आर.टी.(2) पेज 1147 महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण के पत्रावली में मौजूद तथ्यों व साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 07.11.2017 का आकर दखलअंदाजी करने लगे और कहने लगे की न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय कर दिया हैं तब जाकर दिनांक 07.08.2017 को अभिभाषक से इस बाबत् सर्म्पक किया तब अभिभाषक ने बताया कि निर्णय हो चुका हैं इस बाबत् सूचना प्रार्थीगण को ना तो अभिभाषक एवं ना ही न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया । तत्पश्चात अभिभाषक ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी तो उपखण्ड

अधिकारी, मसूदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 की नकल बाबत् आवेदन दिनांक 08.11.2017 को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.11.2017 को प्राप्त कर अपील बिना अविलम्ब पेश की जा रही हैं। जिसे पेश करने में हुई उपरोक्त सद्भाविक देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का आदेश दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2006 आर.बी.जे.पेज 198, 2004 आर.बी.जे.(सुप्रीम कोर्ट)पेज 286, 2005 आर.आर.टी.(1) पेज 588, 2002 आर.आर.टी.(1)पेज 53, 1998 आर.आर.ड़ी पेज 319, 1997 आर.आर.ड़ी पेज 511, 1993 आर.आर.ड़ी (हाई कोर्ट) पेज 727, 2006 आर.आर.टी. (।।) पेज 1082, 2002 आर.आर.टी. (1) पेज 648 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट ने अपने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास वैकल्पिक रास्ता था फिर भी उसने अपीलांटस को परेशान व हैरान करने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो बिल्कुल गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये थे अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित भी किन्तु उन्होने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया तत्पश्चात जवाब सरकार प्राप्त करने एवं विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की जाकर आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं। तहसीलदार, मसूदा ने अपने मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं खसरा नम्बर 722/2 के खातेदार के पास खसरा नम्बर 818 व 730 से 738, 726 व 739 जो है जो प्रार्थीगण के खेत से मिलता हैं।उपरोक्त खसरा नम्बरान के अलावा कोई विकल्प रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी काश्तकारी खातेदारी में आने के लिए खसरा नम्बर 739 के बीच स्थित रास्ते से आता–जाता रहा है। इस प्रकार उन्होने प्रार्थी की खातेदारी में पहुॅचने के लिए खसरा नम्बर 739 को सही बताया है। उक्त तहसीलदार, मसूदा की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान की दो शर्ते यथा–पारम्परिक सहमति से रास्ता दिया जावें तथा दूसरा सुविधानजक विकल्प दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कम से कम भूमि का नुकसान हो तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही यह नये रास्ते बाबत् आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की हैं। अभिभाषक अपीलांट यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की हैं तथा प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में देरी के पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये हैं इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावें तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत् प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 15.06.2017 जो पारित किये गये वो एक तरफा आदेश पारित किये गये हैं इसलिए संभवता इसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं हुई हों। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण/अपीलांटस को यद्यपि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार बनाया गया था लेकिन उन्हे बिना सुने आदेश पारित किया हैं जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उलघ्घंन है। अपील जानकारी तिथी से परिसीमा में हैं। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. तत्पश्चात हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का एवं प्रस्तुत नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान

अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा तहसीलदार, मसूदा के मौका रिपोर्ट दिनांक 17.09.2017 के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 818, 730 से होता हुआ प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की खातेदारी में जा रहा हैं। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में नये रास्ते की कायम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु ''absolute necessary'' एवं '' absence of alternative means of access is proved ''हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुॅचने के लिए कहीं कोई रास्ता उपलब्ध ना होना। यहॉ यह स्थिति नही हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 03 के पास अपनी खातेदारी मेंजाने के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नही हैं। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम सुविधाजनक रास्ते की कायम का प्रावधाव नहीं करती है और अब किसी काश्तकार के पास "alternative means of access" मौजूद हैं तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधानुसार रास्ते के नाम पर नये रास्ते कायम की मांग नहीं कर सकता हैं। इस प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार सूरजमल पुत्र लादू वगैरह के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था फिर भी नये रास्ते की मांग की गई हैं। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की मंशा भी यही ही रास्ता आवश्यकता अनुसार हो व कम से कम भूमि का नुकसान हों। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थित अनुसार जो आदेश पारित किये हैं वह विधि सम्मत नही है। उक्तानुसार तथ्यात्मक एवं कानूनी विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्तों की स्थिति का विवेचन करते हुए पुनः तहसीलदार, मसूदा से रिपोर्ट तैयार करवाये जिससे रिकार्ड व मौके की स्थिति अनुसार सुविधा जनक रास्ते की स्थापना हो सकें। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का आवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्याालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपलब्ध अन्य वैकल्पिक रास्तों की स्थिति का विवेचन करते हुए पुनः तहसीलदार, मसूदा से रिपोर्ट तैयार करवाये जिससे रिकार्ड व मौके की स्थिति अनुसार सुविधा जनक रास्ते की स्थापना हो सकें। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का आवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 12.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर